28/3/25

कलेक्ट्रेट परिसर। 340। पत्रावली प्रकरण हुई प्राप्त। पत्रावली प्रकरण
x' प्रकरण के अवलोकन कराया कि मूल निर्माण 1.7.2000 को
पत्थरगढ़ी कराया गया [illegible] 1.8.20 को पत्थर की
मूर्तियाँ [illegible] प्रकरण के अवलोकन कराया
कि प्रार्थी द्वारा पत्थर की मूर्तियाँ [illegible] को कोई [illegible] की कार्यवाही
नहीं की सीमाविवाद होने के संबंध में लिखे। पत्रावली [illegible] लिखित
[illegible] कार्यालय में पाया कि प्रार्थी द्वारा पत्थर मूर्तियाँ को कोई सहारा मूर्ति
देकर नहीं करने के कारण यह साबित नहीं होता कि प्रार्थी ने कोई सीमा विवाद
को उठाया। अतः आपका आवेदन लिखित नहीं है। पत्रावली निस्तारण
योग्य प्रस्तुत प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 12:08:47 IST
Reason: SelfAttested